कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

कमांक 97 **/त.शा.–2/F-116-APP(S)/प्र.अ./लोस्वायावि/2017 नया रायपुर, दिनांक** 22.5.17

//आदेश//

सहायक निर्देशक, शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई के पत्र कमांक बी.ओ.ए. टी./आई.एम.पी.–XIII/614201/17787/दिनांक 10.02.2016 के तारतम्य में अप्रेन्टिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 8 (3ए) के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्र कमांक– 3679/त.शा. /एफ–116–APP(S)/प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./नया रायपुर दिनांक 02.05.2017 के अनुसार 38 प्रशिक्षुओं की पूर्ति करने हेतु जारी आदेश के तहत रिक्त पदों की पूर्ति के लिए प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित प्रशिक्षुओ को 1 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक छात्रवृति पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालयो में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु आदेशित किया जाता है :–

क	नाम	श्रेणी	डिग्री/ डिप्लोमा	कार्यालय का नाम	टीप
	ट्रेड–मेकेनिकल इंजीनियरिंग				
1	श्री लेखचंद	सामान्य	डिप्लोमा	का.अ. खण्ड धमतरी	
	ट्रेड–कम्प्यूटर इंजीनियरिंग				
2	श्री कमलेश देशमुख	सामान्य	डिग्री	अ.अ. मण्डल दुर्ग	
3	कु. ज्योति श्याम कुंवर	सामान्य	डिग्री	अ.अ. मण्डल दुर्ग	
	ट्रेड – माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट				
4	श्री लव कुमार साहू	सामान्य	डिप्लोमा	प्रमुख अभियंता लोस्वायांवि नया रायपुर	

उपरोक्त चयन निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है –

1. अप्रेन्टिस एक्ट 1961 प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 8 (3ए) की शर्ते लागू होंगी ।
2. प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी ।
3. **प्रशिक्षण के पश्चात् विभाग नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।**
4. प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है ।
5. अवकाश की पात्रता अप्रेन्टिस एक्ट के अनुसार होगी ।
6. प्रशिक्षु द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जाना होगा ।
7. प्रशिक्षु द्वारा द्विमाही जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरकर भेजना होगा।

प्रारूप प्र.अ. महोदय द्वारा अनुमोदित

22/5/17

अधीक्षण अभियंता (प्रशि.)
एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षु अधिनियम
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

पृ.क्र. 4091/त.शा.–2/F-116-APP(S)/प्र.अ./लोस्वायावि/2017 नया रायपुर, दिनांक 22/05/17

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग, महानदी भवन मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. सहायक निर्देशक शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), ए.टी.आई. कैम्पस वी.एन. पूरव मार्ग सीओन, मुंबई 400022 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल दुर्ग/कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड धमतरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है प्रशिक्षु की उपस्थिति दिनांक 25.05.2017 तक प्राप्त कर उपस्थिति सूचना प्रशिक्षु प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता को प्रेषित करें। निर्धारित अवधि में प्रशिक्षु के उपस्थित नही होने पर कार्यालय को मेल/फैक्स द्वारा अवगत करावें जिससे कि प्रतिक्षा सूची में से अन्य प्रशिक्षु का चयन प्रस्तावित किया जा सकें।
4. सहायक अभियंता, (एम.आई.एस.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देश है, कि विभागीय वेबसाईट मे अपलोड करें।
5. श्री/कु ....की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 25.05.2017 तक सूची में दर्शित संबंधित कार्यालय प्रमुख को अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करे । निर्धारित तिथि तक उपस्थित नही होने पर चयन निरस्त माना जावेगा एवं प्रतीक्षा सूची से अन्य प्रशिक्षु का चयन किया जावेगा। आपके द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जायेगा दैनंदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।
6. कार्यालयीन आदेश नस्ती ।

प्रारूप प्र.अ. महोदय द्वारा अनुमोदित

संलग्नः–कमांक 5 के लिए

Sd/- 22/5/17

अधीक्षण अभियंता (प्रशि.)
एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षु अधिनियम
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नया रायपुर